न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 60 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट

1. सताराम पुत्र गोरधनराम उम्र 70 वर्ष जाति जाट निवासी कुड़ला तहसील बाड़मेर हाल निवासी निम्बासर तहसील शिव जिला बाड़मेर (राज.)

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.बींजाराम पुत्र सुरताराम
2.लच्छा उर्फ जस्साराम पुत्र सुरताराम
3.हराराम पुत्र फुसाराम
4.विशनाराम पुत्र फुसाराम
5.रूपाराम पुत्र गोरधनराम
6.चिम्माराम पुत्र सताराम
7.नाथाराम पुत्र सताराम
8.जेठाराम पुत्र सताराम जाति जाट निम्बासर तहसील शिव जिला बाड़मेर
9.राज राज्य जरिये तहसीलदार शिव जिला बाड़मेर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 152 / 2011 बअनवान सताराम बनाम बींजाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.12.2012 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री कपिल चौधरी, श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 18.02.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम निम्बासर पटवार क्षेत्र बलाई तहसील शिव के खेत खसरा संख्या 93 (नये खसरा संख्या 93, 226 / 93, 227 / 93) रकबा 142 बीघा, खसरा संख्या 175 / 106 (नये खसरा संख्या 175 / 106, 229 / 175, 230 / 175) रकबा 79.17 बीघा कुल रकबा 221.17 बीघा भूमि अपीलांट व उतरदाता संख्या 01 से 05 ने रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 25.02.1966 को खरीद की थी जिसमें अपीलांट व उतरदाता संख्या 05 का 1 / 3 हिस्सा और उतरदाता 03 व 04 का 1 / 3 हिस्सा तथा उतरदाता संख्या 01 व 02 का 1 / 3 हिस्सा खातेदारी मे है इसी प्रकार मौके पर काबिज चले आ रहे थे और रोड के ऊपर 1 / 3–1 / 3 हिस्सा उक्त पक्षकार का बराबर कब्जा रहा। उपरोक्त आराजी का विभाजन करवाने

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

हेतु अपीलांट व उतरदाता संख्या 03 से 05 ने उतरदाता संख्या 01 व 02 के विरूद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 रा. का. अधि. के तहत पेश किया जिसके वाद संख्या 152/2011 और दूसरा वाद उतरदाता संख्या 01 व 02 ने पेश किया जिसके वाद संख्या 151/2011 में अन्तिम डिक्री पारित की गई, इसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांट के अधिवक्ता की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 04.12.2012 पर अपीलांट का फर्जी अंगुष्ठ निशान अंकित किया गया है जबकि अपीलांट हस्ताक्षर करता है, उसने अपने वादपत्र मय शपथ–पत्र और उसके साथ जो वकालतनामा पेश किया है उसमे भी अपीलांट के हस्ताक्षर किये है। विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.12.2012 को प्राप्त करना बताया गया है जिस समय कोई पक्षकार व अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे और अधिवक्ता हड़ताल पर थे जिस वजह से अपीलांट के अधिवक्ता को बंटवाड़ा प्रस्ताव पर एतराज करने का अवसर प्रदान नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। अपीलाधीन आराजी के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से तहसीलदार द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना/नोटिस नहीं दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव पर अपनी आपतियां पेश करने देने का अवसर दिये बिना ही एकतरफा रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 04.12.2012 पर अपीलांट का फर्जी अंगुष्ठ निशान अंकित किया गया है जबकि अपीलांट हस्ताक्षर करता है। एकतरफा बंटवाड़ा प्रस्ताव का ज्ञान अपीलांट अनपढ जो केवल हस्ताक्षर करना ही जानता है, ग्रामीण व गरीब व्यक्ति होने से और ग्राम निम्बासर तहसील शिव से दूर गांव कुड़ला तहसील बाड़मेर में निवास करने की वजह से इतने दिनो तक उक्त निर्णय व डिक्री का ज्ञान नहीं हो सका। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

अनुपस्थिति में पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। एकतरफा निर्णय व डिक्री की पालना में दिनांक 19.12.2012 से दिनांक 08.08.2021 तक नक्शा लट्ठा ट्रेस में अलग–अलग तरमीम नहीं की गई बल्कि दिनांक 10.08.2021 को पटवारी हल्का व आर आई हल्का से मिलावट कर तरमीम करवा कर उसके पश्चात उसी दिन उत्तरदाता संख्या 01 व 02 ने अपीलांट को कहा की बंटवाड़े के वाद का निर्णय हो गया है और नक्शे में तरमीम हो गयी है तथा हमको भूमि सड़क पर ज्यादा दी गई है और आपके ढाणी के खेडे की जमीन हमको दी गई है, इस वजह से आप अपीलांट अपना कब्जा छोड दे अन्यथा जबरन बेदखल कर देंगे। तब अपीलांट दिनांक 11.08.2021 को पटवारी हल्का के पास गया और जमाबंदी और नक्शे की नकले ली और शिव जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव की पत्रावली का पता किया और दिनांक 25.08.2021 को नकले मांगी जो दिनांक 27.08.2021 को नकले मिली जिसे लेकर अपीलांट बाड़मेर आया और उसने नया अधिवक्ता नियुक्त किया तब नये अधिवक्ता ने पत्रावली पढ कर सुनवाई तो सर्वप्रथम उक्त एकतरफा बंटवाड़ा प्रस्ताव का ज्ञान हुआ। वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RJT 2008(2) Page 1535
RRT 2022(1) Page 184

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री वकुलाय फरीकेन हड़ताल पर होने के बावजूद पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा मौका रिपोर्ट पर अपीलांट का अंगुष्ठ निशान किया हुआ जबकि अपीलांट द्वारा दावे में पेश शपथ–पत्र एवं वकालतनामा मे हस्ताक्षर किये हुए

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

है इससे साफ जाहिर होता है कि बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलांट का अंगुष्ठ निशान नहीं है। बंटवारा प्रस्ताव By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर तैयार नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 152/2011 बअनवान सताराम बनाम बींजाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.12.2012 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए रखते हुए बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय हस्तगत वाद का निर्णय बाद सुनवाई दो माह में पारित करे। तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना में भरे गये नामांतकरण संख्या 308 के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में डिक्री से पूर्व की स्थिति बहाल करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार सांखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 18.02.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर